



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032025-261806
CG-DL-E-22032025-261806

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1322]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2025/फाल्गुन 29, 1946

No. 1322]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2025/PHALGUNA 29, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2025

सं. 66 / 2024-25

विषय: अग्रिम प्राधिकार-पत्र (एए) धारक, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और निर्यात-उन्मुख इकाइयों (ईओयू) हेतु आरओडीटीइपी को दिनांक 05.02.2025 तक बढ़ाना।

का.आ. 1340(अ).—विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा, अधिसूचना सं. 32 / 2024-25 दिनांक 30.09.2024 में आंशिक अधिक्रमण को निम्नानुसार अधिसूचित करती है:

- अग्रिम प्राधिकार-पत्र (एए) धारक, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और निर्यात-उन्मुख इकाइयों (ईओयू) द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यात हेतु निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीइपी) स्कीम के अंतर्गत सहायता केवल दिनांक 05.02.2025 तक ही बढ़ाई गई है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: एए, एसईजेड और इओयू से विनिर्मित उत्पादों के निर्यात हेतु आरओडीटीइपी स्कीम के अंतर्गत सहायता को दिनांक 05.02.2025 तक बढ़ाया गया है। तथापि, 06.02.2025 से आगे, इन

श्रेणियों द्वारा निर्यात आरओडीटीईपी सहायता हेतु पात्र नहीं रहेगा। अन्य श्रेणियों (डीटीए) हेतु आरओडीटीईपी स्कीम के अंतर्गत सहायता अधिसूचना सं. 32/2024-25 के अनुसार जारी रहेगी।

[फा. सं. 01/61/180/155/एएम21/पीसी-3/भाग-3/ई-40720]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2025

No: 66/2024-25

Subject: Extension of RoDTEP for Advance Authorizations (AAs) holders, Special Economic Zones (SEZs), and Export-Oriented Units (EOUs) upto 05.02.2025

S.O. 1340(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2023, the Central Government hereby notifies, in partial super-session of Notification No. 32/2024-25 dated 30.09.2024, the following:

1. The support under the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme for export of products manufactured by Advance Authorizations (AAs) holders, Special Economic Zones (SEZs), and Export-Oriented Units (EOUs) stands extended only up to 05.02.2025.

Effect of this Notification: The Support under the RoDTEP Scheme for exports of products manufactured from AAs, SEZs, and EOUs has been extended up to 05.02.2025. However, from 06.02.2025 onwards, exports from these categories will no longer be eligible for RoDTEP support. The support under the RoDTEP Scheme for other categories (DTA) shall continue as per Notification No. 32/2024-25.

[F. No. 01/61/180/155/AM21/PC-3/PART-3/E-40720]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.